



2026:AHC-LKO:5132-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 413 सन 2026

वाहिद अहमद

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव राजस्व लखनऊ
एवं 15 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	सुमित कुमार
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सूर्य प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने अपना वकालतनामा दाखिल किया है और प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फारूक अहमद ने अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित कुमार, राज्य-प्रतिवादी(यों) का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राज बक्स सिंह, प्रतिवादी संख्या 8 और 9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश सिंह, प्रतिवादी संख्या 14 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रताप सिंह और प्रतिवादी संख्या 15 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फारूक अहमद को सुना गया।
3. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“(i). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 5, अर्थात् जिलाधिकारी, बहराइच; उप-जिलाधिकारी, तहसील कैसरगंज; तहसीलदार, कैसरगंज, और नगर पंचायत अधिकारियों को यह निर्देश और आदेश देते हुए जारी किया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 10 से 16 द्वारा जलमगन/पनिखाटा (तालाब) भूमि, गटा संख्या 584 (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 01), जो जरवाल कस्बा, परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच में स्थित है, पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटा दें, जो राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के रूप में दर्ज है, और उक्त भूमि को उसकी मूल प्राकृतिक स्थिति और सार्वजनिक उपयोग में बहाल करें;

(ii). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 3 (जिलाधिकारी, बहराइच) और अन्य सक्षम अधिकारियों को निर्देश और आदेश देते हुए जारी किया जाए कि वे दोषी अधिकारियों, जिनमें संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत जरवाल कस्बा बहराइच, अध्यक्ष, नगर पंचायत जरवाल कस्बा बहराइच और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ उचित विभागीय और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण की जानकारी होने के बावजूद और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत अंतिम बेदखली आदेश पारित होने के बावजूद, उसे रोकने, रिपोर्ट करने या हटाने में विफल रहे, जिससे मिलीभगत, घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता का संकेत मिलता है;

(iii). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर, जिनमें प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 5 को दिनांक 07.01.2026 को प्रतिवादी संख्या 5 को संबोधित अभ्यावेदन भी शामिल है, तर्कसंगत, विधिवत और समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश और आदेश देते हुए जारी किया जाए, और प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत प्रतिवादी संख्या 10 से 16 के विरुद्ध दिनांक 22.05.2025, 27.05.2025 और 18.07.2025 को पारित बेदखली आदेशों के सख्त कार्यान्वयन और निष्पादन को सुनिश्चित किया जाए;

(iv). एक और रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 05 को जलमगन/पनिखाटा/सरकारी भूमि/सार्वजनिक उपयोगिता (तालाब) भूमि पर अवैध कब्जे के लिए प्रतिवादी संख्या 10 से 16 पर लगाए गए हर्जाने/जुर्माने की वसूली कानून के अनुसार करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर इस माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपालन/स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला जारी किया जाए।”

4. दोनों पक्षों की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह पता चलता है कि तालाब की भूमि/जलमगन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। इस संबंध में अंतिम आदेश पारित किए जा चुके हैं, हालांकि, अपर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राज बक्स सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कथित अतिक्रमणकारियों ने उक्त कार्यवाही को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है और अगली सुनवाई की तारीख 28 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी।

5. इस संदर्भ में, हम सहायक कलेक्टर को, जिनके समक्ष वापसी का आवेदन लंबित है, ऐसे आवेदन की स्वीकार्यता पर विचार करने और उसके बाद इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित और आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।

6. याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

जनवरी 22, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।